

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 357347
ग्रा0वि0-15 (स्वच्छता)- 55/2016

पटना, दिनांक :- 1/3/2018

प्रेषक,

बालामुरुगन डी. भा.प्र.से.,
आयुक्त स्वरोजगार ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय :- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना) के अंतर्गत पात्र लाभुकों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना) के अंतर्गत पात्र लाभुकों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में विभाग के द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका ज्ञापांक 68/सी. दिनांक 05.08.2016 में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं । ग्राम पंचायतों के अंतर्गत वार्ड के खुले में शौच मुक्त होने के साथ-साथ लाभार्थियों द्वारा निर्माण किये गये शौचालय की जिओ टैगिंग भुगतान के लिये अनिवार्य है । इस संबंध में समय-समय पर दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं । राज्य इकाई द्वारा प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में आवश्यक सहयोग एवं समीक्षा की जाती है ।

अतः निदेश है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना अंतर्गत नियमानुसार योग्य लाभार्थियों का ससमय प्रोत्साहन राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे ।

विश्वासभाजन

(बालामुरुगन डी.)

आयुक्त स्वरोजगार ।